

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/99/2019-20/ 39587

दिनांक: 03-10-2019

ई-बोली आमंत्रण सूचना

नवनियुक्त सुरक्षाकर्मियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री अंगोला गर्म कमीज कपड़ा, टेरीकोट पेन्ट, जर्सी गर्म ऊनी, खाकी गर्म जुराब, चमड़ा बैल्ट मय कलैम्प, लोहे की चारपाई, लोहे के बक्सा, किट बैग, बैत लाठी, कोट पारका एवं गर्म कम्बल क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, ई-बोली दिनांक 04/10/2019 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड एवं प्रारम्भ करने की तिथि व समय	04/10/2019 को 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	15/10/2019 को 11.00 AM तक
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	15/10/2019 को 2.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	15/10/2019 को दोपहर 3.00 PM
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।


(विकास कुमार)

महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/99/2019-20/ 39588-612

दिनांक: 03-10-2019

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई-बोली को एसपीपीपी एवं ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

● महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/99/2019-20/ 39587-

दिनांक: 03-10-2019

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना

नवनियुक्त सुरक्षाकर्मियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री अंगोला गर्म कमीज कपड़ा, टेरीकोट पेन्ट, जर्सी गर्म ऊनी, खाकी गर्म जुर्राब, चमड़ा बैल्ट मय कलैम्प, लोहे की चारपाई, लोहे के बक्सा, किट बैग, बैत लाठी, कोट पारका एवं गर्म कम्बल क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, ई-बोली दिनांक 04/10/2019 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड एवं प्रारम्भ करने की तिथि व समय	04/09/2019 को 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	15/10/2019 को 11.00 AM तक
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	15/10/2019 को 2.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	15/10/2019 को दोपहर 3.00 PM
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं:-

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत रु. (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	अंगोला गर्म कमीज कपड़ा	946 मीटर	3.78	7560/-	500/-	30 दिवस
2.	टेरीकोट पेन्ट	897 मीटर	1.57	3140/-	500/-	30 दिवस
3.	जर्सी गर्म ऊनी	1015 नग	5.08	10160/-	500/-	30 दिवस
4.	खाकी गर्म जुर्राब	2030 जोड़ी	2.23	4460/-	500/-	30 दिवस
5.	चमड़ा बैल्ट मय कलैम्प	1342 नग	4.70	9400/-	500/-	30 दिवस
6.	लोहे की चारपाई	1342 नग	20.13	40260/-	1000/-	30 दिवस
7.	लोहे का बक्सा	1342 नग	13.42	26840/-	1000/-	30 दिवस
8.	किट बैग	1342 नग	8.72	17440/-	500/-	30 दिवस
9.	बैत लाठी	1342 नग	2.68	5360/-	500/-	30 दिवस
10.	कोट पारका	1342 नग	21.47	42940/-	1000/-	30 दिवस
11.	गर्म कम्बल	176 नग	0.88	1760/-	500/-	30 दिवस

बोली की मुख्य शर्तें

- निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
- बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस. एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
 - यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है -रूपये 500/- प्रति बिडर प्रति बोली
 - यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है-रूपये 1000/- प्रति बिडर प्रति बोली
- निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा 15/10/2019 को दोपहर 2.00 PM तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।

4. क्वालिफाईंग बिड (तकनीकी) में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालिफाईड बिड (तकनीकी) खुलने की दिनांक से 07 दिवस के अंतर्गत खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
5. जो बोलीदाता ई-बोली (e-Tender) में भाग लेना चाहते हैं सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II o Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. **निर्माता द्वारा बोलीयाँ :-**
 - (i) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आइटम के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेन्ट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन किये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
8. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**
 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।
 - (iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित हैं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 - (iv) ई-बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में क्रम संख्या 3, 4, 7, 8, 10 तक वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म एवं लघु" उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है।
 - (v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।
 - (vi) वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय अद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप "क" मय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस (प्रीफरेंस टू एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों नियमानुसार प्रदान की जावेगी।
10. बोली के साथ बोलीदाता जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4(i) (ii) देखें) की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।
11. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।
12. दरों की वैधता -प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

13. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपद्धत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
14. किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
16. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट— अ,ब,स,द तथा इ एवं अनुलग्नक—अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक—अ, ब, स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई—बोली के साथ स्कैन करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई—बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
19. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथा आवश्यकता/स्थानानुसार लागू रहेंगे।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज. जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
21. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-
 1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2601047 ई-मेल purchaseljhq@gmail.com
 2. अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2619202 ई-मेल purchaseljhq@gmail.com


 महानिरीक्षक कारागार-I
 राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता	
3.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
4.	बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि)	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर "तकनीकी निविदा" हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करें)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

पता :-

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर

(बोली प्रपत्र-कवालीफाईंग बिड)

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक :-

- (I)के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-.....
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-.....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :-.....
- (III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
- (IV) सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण संख्या:-.....
दिनांक
- (V) बोली प्रपत्र शुल्क :- राशि रूपये बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है ।
- (VI) प्रोसेसिंग फीस :-राशि रूपये.....डीडी नं.....दि.....जमा
करा दी है।
- (VII) हम बोली आमंत्रण संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय
शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" व "द" तथा परिशिष्ट "ई" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते
हैं।
- (VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाय अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर
दी जाएगी ।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90
दिन तक विधि मान्य है ।
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट "ई" में अंकित स्पेसिफिकेशन
के लिये हैं ।
- (XI) हमारा राजस्थान जीएसटी पंजीयन संख्या है और वेट/केन्द्रीय बिक्री कर
पंजीयन संख्या.....है ।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में
विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक
दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ Validity
1.	Whether tender document fee is submitted with e-Bid. Provide details Banker Cheque/ DD no..... dt.....		
2.	Whether Bid Security document submitted with e-Bid. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt No..... dt..... amount		
3.	Whether agreed with all Bid conditions		
4.	Whether annexure – D & E have been downloaded, signed and submitted with e-Bid		
5.	Whether sales GST Registration certificate is submitted with e-Bid		
6.	Whether sales tax/VAT clearance certificate affidavit is submitted with e-Bid		
7.	Whether Micro or Small Enterprises registration EM-II/Udyog Adhar certificate issued by the Govt. of Rajasthan is submitted with e-Bid.		
8.	For price preference or Purchase preference or both under Notification dated 19.11.2015 wheather Form 'A' as prescribed in rule 10 of the above Notification is submitted with e-bid.		
9.	If applied as Micro or Small Enterprises, whether certificate for Production Capacity under rule 11 of Notification dated 19.11.15 in Form 'B' is submitted with e-Bid.		
10.	Whether original manufacturer's certificate for the item submitted with e-Bid.		
11.	Whether certificate regarding authorized dealer/authorized distributor/Sale Sailing Agent issued by the manufacturer is submitted with e-Bid.		
12.	If bidder has an authorised representative based in Jaipur, name address and contact number should be submitted with e-Bid.		
13.	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted Bid for the first time		

(XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोट :-

1. क्रम संख्या (XIII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत कियों है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।

2. बोली भरने की प्रकिया :-

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "ई" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाऊनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन करना होगा।

(बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई- बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर



कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर
परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक :-

1. के लिए बोली
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण संख्या:-
दिनांक
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-
दरें -एफ.ओ.आर.केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज., जयपुर, निम्नानुसार अंकित करे :-

(i) दरें -(प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर) :-

क्र.सं.	वस्तु का नाम	कुल मात्रा	प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर राशि रूपये अंको में राशि रूपये मय समस्त कर	प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर राशि रूपये शब्दों में राशि रूपये मय समस्त कर
1	अंगोला गर्म कमीज कपड़ा	946 मीटर	ई-बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।	
2	टेरीकोट पेन्ट	897 मीटर		
3	जर्सी गर्म ऊनी	1015 नग		
4	खाकी गर्म जुराब	2030 जोड़ी		
5	चमड़ा बैल्ट मय कलैम्प	1342 नग		
6	लोहे की चारपाई	1342 नग		
7	लोहे का बक्सा	1342 नग		
8	किट बैग	1342 नग		
9	बैत लाठी	1342 नग		
10	कोट पारका	1342 नग		
11	गर्म कम्बल	176 नग		

उक्त बोली प्रपत्र-प्राईस बिड का है जिसे तकनीकी बिड के साथ नहीं दिया जावे, तकनीकी बिड के साथ दरें दिये जाने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी। ई-बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।

उक्त करों में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट:-

(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(ii) **अस्पष्ट वाक्य जैसे:-** 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

(iii) **आईटमों की दरों हेतु:-**

(अ) यदि किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी।

6. **बोली भरने की प्रक्रिया:-**

ई- बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण एवं परिशिष्ट-अ उल्लेखित कर दी गई है। तदनुसूचित ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट-“स”

ई-बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वैबसाईड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया:-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :-
 - (अ) **निर्माता द्वारा बोली :-**
 - (i) बोली आमंत्रण में अंकित आइटम के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
 2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**
 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।
 - (iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित हैं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 - (iv) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्गीकृत, राजस्थान में स्थापित एवं उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों को चाहने के क्रम में संबंधित उद्यम द्वारा वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 10 के अनुसार संलग्न प्रारूप "क" जिसमें उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, की स्वप्रमाणित फोटोप्रति तथा उक्त नोटिफिकेशन के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :-**

- (i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) राजस्थान स्थित फर्मों द्वारा गत छः माह से अधिक जी.एस.टी. बकाया नहीं होने का शपथ पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट- 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डारून लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई- बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
7. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाइ करने या आंशिक सप्लाइ करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

8 **दरें :-**

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-
 - (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उक्तथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दरें परिशिष्ट "ई" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा समस्त प्रकार के टैक्स जीएसटी सहित एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट "ई" में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (v) सप्लाइ के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) सप्लाइ के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाइ के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (vii) विभागीय सप्लाइ अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाइ अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

- (x) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।
9. **दरों की तुलना:-**
- (i) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के नियम 4 के तहत राजस्थान राज्य के स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो प्रदान की जावेगी।
- (ii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोली मूल्य राजस्थान के उद्योगों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।
10. **बातचीत (Negotiation) :-**
- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।
11. **बोली की विधि मान्यता:-**
- दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
12. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
14. **स्पेसिफिकेशन:-**
- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "ई" में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी,

लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- (iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

15. **निरीक्षण एवं परीक्षण :-**

- (i) (A) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ii) सप्लायर प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) परीक्षण प्रभार:- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लायर किया गया सामान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
- (iv) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
- (v) रद्द करना (Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लायर अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (vi) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- (vii) आपूर्ति किया गया माल/आइटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

16. **सैम्पल :-**

- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ आइटमों के एक-एक शील्ड सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किए जावेंगे। वस्तुओं के सैम्पल्स, विभागीय क्रय समिति चाहेगी तो किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेस्ट करवा सकेगी। इस संबंध में विभागीय क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल्स की जांच कराई जाती है तो टेस्टिंग पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल्स की टेस्टिंग के उपरान्त टेस्ट पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता टेस्टिंग चार्ज की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से टेस्टिंग चार्ज की राशि काट ली जावेगी।
- (ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से सैम्पल पर लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर सैम्पल का विवरण लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता का नाम व आइटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।
- (iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

- (iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (v) असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट-फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार या विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नहीं लिये जावेगे उनका समपहरण (Forfeiture) किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
17. **माल की सप्लाई :-**
- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाएगा। तत्पश्चात् जेलों पर स्थापित किया जावेगा।
18. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
19. **सुपूर्दगी अवधि (Delivery Period)**
- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
20. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**
- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

21. **सविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :- सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।
22. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :-**
- (i) बोली के साथ अनुमानित क्रय मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रूपये की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 एवं वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-11/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।
- (ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:-
- (अ) नकद रसीद द्वारा या
- (ब) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई-ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या
- (स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
- (iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):-** असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।
- (iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या सविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
- (v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।
- (vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):-** बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :-
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
23. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-**
- (अ) विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 03 दिन में माल के प्रदाय एवं वार्षिक रख-रखाव के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत मय चार्ज/सेस के बराबर कम से कम राशि रूपये 500/- एवं अधिकतम राशि रूपये 15000/- तक के राजस्थान नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस. आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में 03 दिवस में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त की जा सकती है।

- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:-
- (क) "ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
- (च) उपर्युक्त खण्ड ख से ङ. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstandingdues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
- (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
- (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि ledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):- सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा:-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
- (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। वारंटी एवं ए.एम.सी. अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी अथवा इस जुर्माना राशि की कटौती की जा सकेगी। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-
 (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
 (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
 (vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

24. **बीमा:-**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

25. **भुगतान:-**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
 (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेंगे।
 (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
 (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
 (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।
 (vi) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-**
 परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
 (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%
 (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
 किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
 (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
 विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%
 (ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
 (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
 (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जाएगी।

26. **वसूलियाँ:-**परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति

- (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
27. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
 28. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
 29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
 30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
 31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
 32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
 33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
 34. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
 35. सामान की आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर पर देनी होगी।


 महानिरीक्षक कारागार-I
 राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
 (बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

9

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of We hereby certify that M/S Name)..... of (Address) is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Govt. Supply. He is authorized to participate in the Bid Notice No.....dt..... We hereby undertake that the material shall be supplied by us through him as desired.

(.....)

Name

Signature Attested

Signature of Manufacturer

Name

Designation.....

Seal of Manufacturer

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड
विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आइटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ', 'ब', स तथा अनुलग्नक "अ", "ब", "स" एवं ई तथा ई-बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तों को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में घोषित नहीं हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम

नाम फर्म

.....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

**Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
The designation and address of the First Appellate Authority is**

DG & IG Jail, Rajasthan Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is

Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home Department, Secriatrate Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :



Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant :
- (ii) Official address, if any :
- (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

प्रारूप ख
शपथ पत्र का रूप विधान
(खण्ड 11 देखिए)



मैं..... पुत्र आयु.....वर्ष..... का
निवासी, मैसर्स का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:-
(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स को जिला उद्योग
केन्द्र द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग-1A की अभिस्वीकृति जारी की गयी है।
अभिस्वीकृति सं..... दिनांक निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण
करने के लिए जारी की गयी है:-

वस्तु का नाम

उत्पादन क्षमता (वार्षिक)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

- (ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग-1A की अभिस्वीकृति उद्योग
विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का
नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।
(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित
वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:-

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई
शर्टिंग अंगोला ड्रेब खाकी सुपिरियर क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन


शर्टिंग अंगोला के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 946 मीटर
(घ) **स्पेशिफिकेशन :-**
A. As per IS Specification No. 8331/2003 (Amendment No. 1 Oct 2004 Type-II)
B. कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए उपचारित करने हेतु IS: 11662-1986 के अनुरूप Pentachloropheny laurate process (PCPL) उपयोग लिया जा सकता है।
C. प्रत्येक थान की लम्बाई 36 मीटर से कम स्वीकार्य नहीं होगी, कपड़े की चौड़ाई 152-155 से.मी. होगी।
D. कपड़े का शेड विभाग द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
E. माल सप्लाई के समय प्रत्येक गांठ व थान पर कपड़े की मात्रा के साथ साईज अंकित करना अनिवार्य है। थान T.P. (टू-पीस) में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना पैरा-1 (घ) में उल्लेखित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न विभागीय नमूने के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले शर्टिंग अंगोला ड्रेब खाकी सुपिरियर के एक-एक मीटर के दो सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावें।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच आपूर्ति होने पर की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
- उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
- विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
- सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।

7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:—सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

टेरीकोट शूटिंग क्लोथ के क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

टेरीकोट शूटिंग क्लोथ के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर ।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 897 मीटर

(घ) स्पेशिफिकेशन :- अनुलग्नक-1 से 10

- F. निर्माता द्वारा आपूर्ति किये गये प्रत्येक थान के शुरू में, अंत में तथा प्रत्येक पांच मीटर पर निर्माता फर्म का नाम व वर्ष सेल्वेज में आवश्यक है तथा इसी प्रकार राजस्थान कारागार शब्द सेल्वेजेज में बुनाई अथवा प्रिन्ट द्वारा अंकित किया जाना चाहिए ।
- G. कपड़े का शेड विभाग द्वारा निर्धारित सैम्पल के अनुरूप होगा ।
- C. माल सप्लाई के समय प्रत्येक गांठ व थान पर कपड़े की मात्रा के साथ साईज अंकित करना अनिवार्य है। थान T.P. (टू-पीस) में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना पैरा-1 (घ) में उल्लेखित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न विभागीय नमूने के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले टेरीकोट शूटिंग खाकी रंग के एक मीटर का एक सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावें।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच आपूर्ति होने पर की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।

7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:—सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

SPECIFICATION FOR DOPE DYED POLYESTER VISCOSE UNIFORM CLOTH

1.0 SCOPE

- 1.1 The specification prescribes the requirement of Dope dyed polyester viscose uniform cloth herein referred as "Uniform cloth"
- 1.2 This specification does not specify the design/pattern and stitching of uniform from the "Uniform cloth"
- 1.3 This specification does not specify general appearance; feel etc. of the "Uniform cloth"

2.0 MANUFACTURE AND FINISH

- 2.1 The "Uniform cloth" shall have plain weave. The cloth shall be woven from Uniform and intimate blend of approximate 67 percent dope dyed polyester fabric and approximately 33 percent dope dyed viscose fibre (Refer Table 1) The selvages shall be firm and straight Manufacturer's name and Year of manufacture shall be woven on both sides of the seivedges. The "Uniform cloth" shall be well singed. The "Uniform cloth" shall be 'Heat set' and fully shrunk.
- 2.2 The "Uniform cloth" should be supplied in the width of 138 ± 2 cm. The length of each piece shall be 40 ± 2 meters or as agreed between supplier and purchaser.
- 2.3 Freedom from Defect: The "Uniform cloth" shall be free from major flaws. (defects) Which shall not exceed 10 per 100 meters length (see Note) A list of major flaws (defects) is given in Annex B of IS 15853 (see IS:4125). The allowance for providing extra length of cloth in lieu of the flaws (defects) not exceeding the permissible limit may be agreed between the buyer and seller. It shall also be free from dyeing defects such as streaks, stains and uneven dyeing etc. The finished "Uniform cloth" shall be free from sizing, filling and dressing materials and substance liable to cause subsequent tendering.
The "Uniform cloth" shall be free from any other defect which may significantly mark the appearance or serviceability.
Note: The number of defects shall be determined on all places under test and converted into number of defects per 100 meter length. (Sec. 6.4)

3.0 REQUIREMENTS

- 3.1 The "Uniform cloth" Shall conform to the requirements given in Table 1. Specification for colour shall be as given in Table 2.
- 3.2 Sealed Sample: In order to illustrate or specify the indeterminable characteristics such as general appearance, luster and feel, a sample has been agreed upon and sealed; the supply shall be conformity with the sample in such respects.
- 3.3 The custody of the sealed sample shall be a matter of prior agreement between the buyer and seller.

4.0 MARKING

Each piece of cloth shall be marked with the following:

- a) Name of the material, namely Dope dyed polyester viscose "Uniform cloth".

- 
- b) Composition, namely, Polyester 67 percent and Viscose 33 percent to be marked on every alternate meter of the cloth at a height not exceeding 2.5 cm from the selvedge;
 - c) Length and width;
 - d) Manufacturer's name, initials or trade mark;
 - e) Any other information required by the law in force and/or by the buyers.

5.0 PACKAGING & PACKING

The "Uniform cloth" shall be packed in polythylene or polypropylene bags and or in box, as required by the buyers (see IS 2194 and IS 2195).

6.0 SAMPLING AND CRITERIA FOR CONFORMITY

- 6.1 The number of pieces to be selected at random from a lot for inspection shall be according to dol. A and 2 Table e To ensure randomness of selection, procedure given is IS:4905 shall be followed.
- 6.2 The sampling procedure detailed in 6.2 to 6.4 shall give desired protection to the buyer and the seller, provided that the lot submitted for inspection is homogeneous. To achieve this, the manufacturer shall maintain a system of process control at all stages of manufacturing ensuring the cloth tendering by him for inspection to comply with the requirements of this standard in all respects.
- 6.3 Lot The number of places of cloth of same composition and constructional particulars delivered to a buyer against a dispatch note shall constitute a lot.
 - 6.3.1 The conformity of a lot to the requirements of this specification shall be determined on the basis of the tests carried out on the samples selected from the lot.

6.4 The number of pieces to be tested at criterion for conformity for each of the characteristics shall be as follows.

Characteristics	No. of Samples	Criterion for conformity
i visual inspection for freedom for major flaws (defects)	According to col 2 of Table 3	All the pieces of cloth selected according to col 2 of Table 3 shall be visually examined for major flaws, meter by meter. The Total number of defects observed on sample piece shall be converted into number of defects per 100 meter length. Permissible number of non-conforming pieces not be exceed corresponding number given in col 3 of Table 3.
ii Construction, Ends, Picks, mass, length and width	According to col 4 of Table 3	All specimens shall satisfy the relevant requirements.
iii Blend composition, shrinkage, breaking, strength, tearing strength, colour fastness pH etc.	According to col 2 of Table 3	All specimens shall satisfy the relevant requirements

Table 1: Requirements of Dope dyed polyester viscose uniform cloth

S. No.	Table 1 Characteristics	Requirement as per preset as per Annex E	Test Method
1.	Approx Count of the Yarn		
	Warp	2/30s	
	Weft	2/30s	
2	Weave	Plain	Visual
3	Composition%		IS 3416 Pt I RA 2008
	Polyester	65	
	Lycra	2	
	Viscose	33	
4	Threads/dm		IS 1963: 1981
	Warp	260±5%	
	Weft	190±5%	
5	Width in Cms minimum	138	IS 1954:1990
6	Mass Gm/Sq. Mtr	190±5%	IS 1964
7	Breaking Strength 5 X20 Cm revalled strip (Netwton) Minimum		IS 1969:1985
	Warpwise	950	
	Weftwise	750	

8	Pilling Resistance, Grade	4 or better	IS 10971:1984
9	Relaxation Shrinkage % Maximum		IS 2977:89
	Warp	1	
	Weft	1	
10	Heat Shrinkage % Maximum		IS 1124:1995
	Warp	2	
	Weft	2	
11	pH of Aqueous Extract	6.0 - 8.5	IS 1390:1981
12	Water Soluble Matter % Maximum	1	IS 3456
13	Colour Fastness to		
	(a) Light	5 or better	IS 2454:1985
	(b) Washing Test 3 (Repeated four times)		IS/ISO 105C10 C3 2006
	Change in colour	4 or better	
	Staining on adjacent fabric	4 or better	
	(c) Perspiration		IS 971: 1983
	Change in colour	4 or better	
	Staining on adjacent fabric	4 or better	
	(d) Rubbing Fastness		IS 766:1988
	Dry/Wet	4 or better	
	(e) Hot Presing		IS 689
	Dry/ Damp/wet	4 or better	
14	Colour Difference ΔE_{cmc} Maximum	$\leq 1.5 \pm 0.5$	
15	Tearing Strength, Newton Minimum		IS 6489:1993
	Warp	50	
	Weft	40	
16	Air Permeability cc/sec/sq cm	14	IS 11056:1984
17	Water vapour permeability g/sqm/day Minimum	1400	ASTM E 96 (Water Method)

[Handwritten signature]

Table 2: Specification of colour of Dope dyed polyester viscose uniform cloth (AATCC Test method 173:2009 & AATCC Evaluation Procedure 7:2009)

Colour KHAKI
System CIELCH
Illuminant Observer D65
Standard Observer 10 Degree
Tristimulus Values

X	Y	Z
21.262	21.571	13.300

LCH

L	C	H
53.569	20.627	78.956

CMC (1:C)

2.1

Colour Difference, ΔE_{cmc}

$\leq 1.5 \pm 0.5$

Interpretation of Result:

- i If ΔE_{cmc} is, less than or equal to 1.5 ± 0.5 , then sample is acceptable.
- ii If ΔE_{cmc} is, greater than 1.5 ± 0.5 , then sample is unacceptable.

Note 1: Absorbance/ reflectance/transmittance are affected by surface characteristic features of the substrate. Therefore comparison should be made between samples of same type i e. identical fabric construction parameters and filament/fibre composition.

Note 2: Test should be carried out after proper conditioning as per AATCC 173.

Table 3 : Sample size and permissible number of non-conforming Uniform Cloth (Refer IS 15853:2009)

Lot size	Sample size	Permissible number of non-conforming pieces	Sub-sample size	Sub-sub sample size
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Up to 100	5	0	3	3
101-150	8	0	3	3
151-300	13	1	5	3
301-500	20	1	5	3
501-1000	32	2	8	5
1001 and above	50	3	13	5

8.0 REFERENCES

8.1 The list of referred standards is given below

LIST OF REFERED STANDARDS

Sl.No.	Method/ Spec. number	Title
1	IS:397(PartI): 2003	Method for statistical quality control during production: Part I Control charts for variable
2	IS:14452:1997 (RA 2006)	Textiles-Care Labeling code using symbols
3	IS:397 (Part.II) 2003	Method for statically quality control during production : Part 2 Control charts for attributes and count of defects
4	IS:6359:1971 (RA 2004)	Method for conditioning of Textiles
5	IS:13510:2000 (RA 2006)	Textile-duck, Polyester/cotton blended, Rip-stop Specification
6	IS:9543:1980 (RA 2004)	Spun polyester sewing threads
7	IS:10789:2000: (RA 2007)	Classification and terminology of stitch types used in seams
8	IS:11161:2000 (RA 2007)	Textiles seam types-classification and terminology
9	IS:3442:1980 (RA 2004)	Methods for determination of weight per square meter and weight per linear meter of fabric
10	IS:1963:1981 (RA 2004)	Method for determination of thread per unit length in woven fabric
11	IS:1964:1970 (RA 2006)	Method for determination of weight per square meter and weight per linear meter of fabric
12	IS:1954:1990 (RA 2007)	Determination of length and width of woven fabric
13	IS:6369:1985 (RA 2006)	Method for determination of breaking strength and elongation of woven fabric
14	IS:6489:1993 (RA 2006)	Textiles-woven fabrics-determination of tear resistance by the falling pendulum method
15	IND/TC/0048(a)	Specification for cloth plain weave polyester viscose dope dyed
16	IS:11056:1984 (RA 2006)	Method for determination of air permeability of fabric
17	IS:15853:2009 (RA 2007)	Textiles-Polyester blend suiting for uniform specification
18	IS/ISO 105:C10 C(3):2006, Reaffirmed 2008	Method for determination of colour fastness of textile material to washing-Test 3
19	IS 971: 1983, Reaffirmed 2004	Method for determination of colour fastness of textile material to perspiration
20	IS 689:1988 Reaffirmed 2004	Method for determination of colour fastness of textile material to hot pressing
21	IS 766:1988, Reaffirmed 2004	Method for determination of colour fastness of textile material to rubbing
22	IS 2454:1985 Reaffirmed 2006	Method for determination of colour fastness of textile material to artificial light (Xenon lamp)
23	IS 1390 :1983 (RA 2004)	Method for determination of pH value of aqueous extract of textile materials



24	AATCC method 2009	Test 173:	CMC Calculation of small colour differences for acceptability
25	AATCC Evaluation Procedure7: 2009		Instrumental assessment of the change in colour of a test specimen
26	IS 3416(Pt 1): 1988		Method for quantitative chemical analysis of binary mixtures of polyester fibres with cotton or regenerated cellulose
27	ASTM E 96		Standard test methods for water vapor transmission

Identification of dope dyed Khaki colour polyester and Viscose fibre blend

The methods given below are guidelines to identify whether the fibres are dope dyed or not. The methods given below shall be applicable only for Dope dyed polyester viscose uniform cloth mentioned in this specification.

1. Identification of dope dyed polyester:

- i. Dye identification test: The material is carbonized as per IS 3416. Then carry out the dye identification test as per IS:4472 pt-III. If the test shows absence of disperse dyes then it may be inferred that the polyester fibre is dope dyed.
- ii. Colour fastness to hot press: The test shall be carried out as per the latest version of IS 689. However the temperature shall be 230°C with an exposure time 15 seconds (For dry press only) instead of 210°C as specified in IS 689. If the change in colour and staining on polyester fabric is 4/5 or better then the fabric might have been produced with dope dyed fibres.
- iii. Treatment with Lyogen DFT: First carbonize the fabric sample as per method IS 3416 and then cut a test specimen of 10.0X4.0 cm size and place it between two un-dyed polyester fabrics to be assessed for staining and sew along all the four sides to form a composite specimen. Then immerse the above specimen in the bath containing 0.5 gram per liter Lyogen DFT for 45 minutes at around 130°C. The Material to Liquor ratio shall be 1:50 and pH of the bath shall be maintained at 4.5 using acetic acid. A blank composite specimen (without carbonized fabric sample) may also be treated in same way for comparison purpose in separate bath. Then remove the sample and wash under running tap water for 10 minutes. Then dry the sample at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ in shade. Assess the colour changes and staining on the adjacent fabric.
If there is light staining on polyester (rating 4/5 or better) and no noticeable changes in colour (rating 4/5 or better) then sample may be designated as dope dyed.

2. Identification of dope dyed viscose:

- i. Dye identification test: The material is reverse carbonized using Nitro-benzene so that polyester is removed. Then carry out the dye identification test as per IS:4472 pt-I. If the test shows absence of reactive, Vat and sulphur dyes then it may be inferred that the viscose fibre is dope dyed.
- ii. Treatment with sodium hydro sulphite: Take a test specimen of 10.0X4.0 cm size and immerse it in bath containing 2.0 gram per liter Sodium hydro sulphite and 2.0 gram per liter Sodium hydroxide for 15 minutes at around 55°C. The material to liquor ratio shall be maintained 1:50. Then remove the sample and wash under running tap water for 10 minutes. Then dry the specimen at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ in shade.

There should be no noticeable change in colour (rating 4/5 or better when compared to grey scale of wash fastness test) If the material is made out of dope dyed fibres.

- 
- iii Treatment with Sodium chlorite: Take a test specimen of 10.0X4.0cm size and immerses the sample in a beaker containing 1.0 gram per liter Sodium chlorite (80%) for one hour at $(80\pm 2)^{\circ}\text{C}$. The material to liquor ratio shall be maintained 1:50 and pH at 3.5 using acetic acid. Then remove the sample and wash under running tap water for 10 minutes. Then dry the specimen at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ in shade.

There should be no noticeable change in colour (rating 4/5 or better when compared to grey scale of wash fastness test) If the material is made out of dope dyed fibres.

Signature of the tenderer

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई

जर्सी गर्म खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

जर्सी गर्म खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिन
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1015 नग
(घ) स्पेशिफिकेशन :-

As per specification No. IND/AIR/TC/1539 with the following amendments

- (A) Composition of Yarn would be as under :-
i) Wool - 85% ± 5%
ii) Crypted Nylon Top Dyed - 15% ± 5%
- (B) Grade of Wool shall not less than 64^S as per IS:5911-1977.
- (C) Neck opening shall be Y-shaped and two buttons shall be provided as per the position indicated in Figure 1 of IS-2360-1977. The buttons and button holes shall be reinforced on the inside of the Jersey with polyester/ viscose fabric conforming to IS-11248/1985 and shall be securely attached by machine stitching. The button shall be made with double thread to form a neck of approximately 2 mm. The neck belt shall be made of double layer of plain knitted fabric used for the body of the Jersey.
- (D) Weaving pattern as per departmental sample.
- (E) Jersey knitted with single strand yarn.

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली जर्सी गर्म खाकी साईज 95 से.मी. के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, वूल आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
- उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
- विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
- सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकता है।

7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-1
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई

गर्म जुराब खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

गर्म जुराब खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस ।
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 2030 जोड़े गर्म जुराब खाकी
(घ) स्पेशिफिकेशन :- As per specification below, Colour & Pattern will be as per Departmental Sample.

Socks should be plain with reinforced heel & toe, elastic double fold.

1. Identification of fibre - Wool, Polyester.
2. Composition - Wool -85%
Polyester - 15%
Tolerance - $\pm 3\%$
3. Wool Grade - 64s As Per IS 5911-77
4. No. of courses/ dm - 60 ± 5
5. Count (Approx) - Wool 44 Tex(2F)
Polyester 155 D ± 5
6. Colour fastness to Light - 4 or better
7. Washing - 4 or better
8. Perspiration - 4 or better
9. Rubbing - 4 or better
10. pH Value - 5 to 7.5

11. **Dimensions in cms** -(As Per Enclosed Drawing) attch Drawing

Top to Heel	Heel to Toe	Width of Socks	Length of Elastic	Weight per pair	Qty
A	B	C	D	E	F
26	23	9.5	6	55gm	
28	24	9.5	6	65gm	
30	25	9.5	6	75gm	
+2.5 -1.0	± 0.5	± 0.5	± 1.0	$\pm 3gm$	
Total					

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार, राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले जुराब गर्म खाकी Heel to Toe साईज 25 के दो जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, वूल आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर


मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

2

राजस्थान पुलिस

1)



महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

लैडर बैल्ट ब्राउन मय कलेप्स क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

लैडर बैल्ट ब्राउन मय कलेप्स के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342 नग
- (घ) स्पेशिफिकेशन :-

लैडर बैल्ट ब्राउन

The leather belt in dark ten shade in good quality of harness leather with buckle as per sealed sample of the Deptt.

Leather Belt Brown

4.5 Cms Wide X 136 Cms Long x 4mms Thick

बैल्ट कलेप्स

- (i) The Belt Clasps consists of 4 pieces weighting 125 Grams :
(a) Buckle (b) Rivet (c) Right hand belt Clasps (d) Left hand belt clasps.
- (ii) All the above pieces should be brass with chromium plating.
- (iii) The belt clasps should be completed in all respect and well polished.
- (iv) The belt clasps should be of the weight as that of sealed sample of the department and only 4% variation is permissible.
- (v) The design/shape size and marking on belt clasps will be strictly according to the sealed of the department.
- (vi) Serial No. and Name of the will be engraved/ embossed on the circular belt clasps as per sealed sample. The figures will be engraved in English **RAJASTHAN JAIL** and the word "**राजस्थान कारागार**" and name of the embossed in Hindi. The serial number for whom these are required, will be indicated in the supply order.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बैल्ट कलेप्स पर नं.
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले लैडर बैल्ट ब्राउन मय बैल्ट कलेप्स के एक सीलड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (चमडा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।

6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-I

राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

(06/11)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
चारपाई फोल्डिंग क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

चारपाई फोल्डिंग के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-


- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342 नग चारपाई फोल्डिंग
(घ) स्पेशिफिकेशन :-
A) Iron Folding Cots are required without coir or newar etc.
B) The Folding Cot tumbler frame construction shall be as per DGS&D drawing No. 23820.
C) Construction of folding cot shall be steel pipe/ tube conforming to Indian Standard Specification No. IS:1161-1998 (re-affirmed 2009) Class : Light steel tube to be used in frame & Leg arm shall be 33.7 mm out side dia and 2.60mm wall thickness. The steel tube used in link arm shall be 21.3 mm in outside diameter and 2mm wall Thickness. Other parameter as per DGS&D Drawing No. 23820.
D) The free end of the legs shall be fitted with round M.S. washer of thickness not less than 2.0mm
E) The end (Bottom) of the four legs should be provided/fixed at such a point that when not in use the legs do not come out of the frame of the cots and when not in use the legs may be folded without any overlapping.
F) The weight of structure should be not less than 16.3Kg.
G) Size of the cot shall be 6' in length and 3' in width and other dimension as per drawing No. 23820.
H) (i) **Finish** : All dents burrs and sharp edges shall be removed from the various components.
(ii) **Paint** : Cot shall be supplied with powder coating with suitable colour as per departmental specimen & final finish shall smooth and uniform with hard tough film of coating strongly adhering to the surface. Finish shall be free for all visible defects.

नोट:- चारपाईयों की आपूर्ति पर निर्माता द्वारा प्रयोग में लिये गये पाईप की टी.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

नमूना एवं परीक्षण :-

8. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए । विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
9. बोली के साथ सप्लाइ की जाने वाली चारपाई फोल्डिंग के दो नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे ।
10. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है ।
11. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

12. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे ।
13. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा । प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे । जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा ।
14. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे ।


महानिरीक्षक कारागार-1

राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

(07/11)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
परिशिष्ट - ई
किट बॉक्स क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

G.I Trunk (किट बॉक्स) के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342
(घ) स्पेशिफिकेशन :-

G.I. Trunk (Kit Box) shall be fabricated of 0.63mm galvanized steel sheet plain, conforming to Indian Standard Specification No. IS:7257-1973(re-affirmed 1994), Size Medium, with following dimensions :-

- (A) Length - 800mm
Width - 500mm
Height - 310mm
Width of Lid - 56mm
(B) Pocket inside the Lid :-
Length - 300mm
Height - 100mm
Depth - 20mm
(C) To improve the strength of Lid, a supporter/ Long Stiffener, shall be provided length wise with 130mm width and 800mm long, made of 0.63mm galvanized steel sheet plain and chain to keep it in position as demonstrated in departmental sealed sample.
(D) Locking arrangements (Kundas & Handles) :
These should be fabricated as per departmental sealed sample.
(E) Width of Bottom :
Two pressed supporters are required to be provided below the bottom as in the departmental sealed sample.
(F) The word (राजस्थान कारागार) should be embossed in Hindi in 32 Cm. length and 5 Cms. in width at the front portion of the bottom of the Kit Boxes, just below front carrying handle.
(G) (i) The body and lid of the Kit Boxes should be constructed with not more than 3 pannels.
(ii) The Kit Box will be with cramp joints at the corners.
(H) Weight of G.I. Trunk (Kit Box)
Total Weight Not less than 10Kg.

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए । विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले किट बॉक्स के दो नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे ।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माबू की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही

की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है ।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे ।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे । जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा ।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे ।


महानिरीक्षक कारागार-1
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
परिशिष्ट - ई
किट बैग खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

किट बैग खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342 नग
(घ) स्पेशिफिकेशन :-

The Specification of Kit Bag Khaki Shall be as follows:

1. The sizes of the Bag shall be as under :

a)	Main Body	Length :-	21 Inch
		Width :-	12 Inch
		Height :-	12 Inch
b)	One Front Pocket :	Length :-	17 Inch
		Width :-	8 Inch
c)	Two Side Pocket :	Length :-	12 Inch
		Width :-	9.5 Inch

d) Bottom of the bag : Inside of the bottom there should be a piece of Fiber Sheet stitched with calico cloth & fitted with 5 Nos of Rubber Gutkha in the bottom side (As per department sample)

2. The Shade, pattern, workmanship and quality of fabric shall be strictly as per departmental sample.
3. Width of Synthetic Strap shall be 1.5 inch, preferably of nylon fabric in double strap.
4. The Bag shall have good quality **P.V.C. Chain** (No.- 10) at top of the flap and good quality of P.V.C. Chain (No.- 8) on the pockets as per department sample.
5. Two Side pocket and for one litre water bottle attachment shall be provide on one side pocket
6. Should be completely water proof.
7. +/- 5% variation shall be allowed in all dimensions.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले किट बैग के दो नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, चमडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-1
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

(09/11)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

पोली कार्बोनेट लाठी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

पोली कार्बोनेट लाठी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर.:- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342 नग
- (घ) स्पेशिफिकेशन :- Polycarbonate Lathi का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार होगा।

POLYCARBONATE LATHI- Polycarbonate Lathi as per following specification


1-	Length	-	1000mm long \pm 10mm
2-	Diameter	-	25 mm \pm 2mm
3-	wall thickness	-	4mm \pm 0.5 mm
4-	Weight	-	400 Gms \pm 25 Gms.

with suitable handle grip, as per Departmental Sample.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटन विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. उपरोक्त आइटम की गारंटी/वारंटी 1 वर्ष की होगी।
3. निविदा के साथ एक नग शील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे।
4. आपूर्ति से पूर्व निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा निविदादाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः निविदादाता के सैम्पल का विभाग अनुमोदन उसकी आइटम की आपूर्ति के समय गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
5. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जा सकता है। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकता है।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर यदि सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार निविदादाता से वसूल किये जावेगें।

8. यदि सप्लाई के समय माल का निरीक्षण/परीक्षण उक्त अंकितानुसार नहीं कराया जाता है तो माल का निरीक्षण/परीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या महानिदेशक कारागार राज. जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
9. उपकरण/वस्तु के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज स्केन करके ई-निविदा के साथ दिये जावे।
10. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण नि: शुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैनुअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध करवानी होगी।
11. अन्य समस्त दस्तावेज जो निविदादाता निविदा के साथ देना उचित समझे, स्केन करके ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करें।


महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

कोट पारका (कोट कोम्बेट) खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

कोट पारका (कोट कोम्बेट) खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
 (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1342 नग

Size	Length	Chest	Sleeve	Qty.
5(S)(32)	30"	50"	23"	
5(S)(34)	32"	55"	26"	
5(M)(36)	34"	56"	27"	
5(L)(38)	36"	57"	28"	
Total				

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

Coat Combat Khaki with detachable lining as per specification No. IND/TC/4652 with the following modifications :-

I As per IS 11248/1995 with Amendment Polyester 67% and Viscose 33%

Note :- LCH Value and XYZ Tolerance $\Delta E \leq 3 \pm 0.5$

II. Lining for body & hood :- Pile fabric Khakhi knitted with tumbled finish - conforming to Prov./S/5387/ slivor/GAR/TC-19.

III Plastic Slide Fasteners open end heavy duty khaki, 28, 54, 57, 60, 63 cm. Conforming to IS 14181 with latest amendment

H. LCH Value and XYZ

L	C	H
54.447	19.128	77.264
X	Y	Z
22.124	22.398	14.580

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुसार विभागीय सैम्पल के अनुरूप शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले कोट पारका 5(S)(34) का एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल

का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - "ई"

गर्म कम्बल क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

गर्म कम्बल के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 30 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 176 नग
(घ) स्पेशिफिकेशन :-

Barrack Blanket Woollen dyed steel gray as per IS 1681-1998 (Reaffirmed 2003) (Variety No.3) Third Revision (Incorporating Amendment No.1) April 2005 and the Following.

a)	The weight of the blanket shall be 2.450 kg. \pm 5.0%
b)	Size of the blanket 230cm x 152 cm \pm 5cm
c)	The Transverse edges of blanket shall be wipped with 3ply worsted yarn of matching colour of the blanket.
d)	Preservation- As an alternative to moth proofing the blanket shall be packed with heavy dose of nepthalene with a minimum quantity of 5 kgs. per cubic meter of bale.
e)	Marking of Blanket - A white label of cotton fabric 8x12 cm. shall be security stiched to one corner of each blanket with the following information printed in indetible ink. i) Firm name & recognised trade mark. ii) Nomenclature of Store. iii) Month & Year of manufacturing. iv) Mode of preservation of nepathelene.
f)	Packing and marking of bales-As per clause 6.2 of specification IS 1681-1998 with amendement No.1
g)	Fibre composition - Wool - 80% \pm 2%
h)	Grade of wool shall not less than 48 ^s as per IS : 5911-1977

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले गर्म कम्बल ग्रे के दो नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अति. महानिदेशक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार-1
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के
प्रमाण के रूप में)